सं०सं०–7/MCH–35–36/2021– 135 (7)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभु शरण भा०प्र०से०,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा मे,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

द्वारा– आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनाक– 08/07/2025

विषय:– इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान सस्थान, शेखपुरा, पटना में मेडिकल कॉलेज एवं नर्सिंग कॉलेज के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2011–12 में कुल प्राक्कलित राशि रू० 5,86,23,83,360/– (रुपये पाँच अरब छियासी करोड़ तेईस लाख तिरासी हजार तीन सौ साठ) मात्र की लागत पर स्वीकृत योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्रथम किस्त के रूप में रू0 16,50,00,000/– (रुपये सोलह करोड़ पचास लाख) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

आदेश:– स्वीकृत।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सबध मे कहना है कि इन्दिरा गॉधी आयुर्विज्ञान सस्थान, शेखपुरा, पटना मे मेडिकल कॉलेज एव नर्सिग कॉलेज के निर्माण हेतु राज्यादेश स0–825(1) दिनाक–19 12 2011 द्वारा वित्तीय वर्ष 2011–12 मे कुल प्राक्कलित राशि रू० 5,86,23,83,360/–(रुपये पॉच अरब छियासी करोड तेईस लाख तिरासी हजार तीन सौ साठ) मात्र की लागत पर योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

2–इस योजना हेतु अब तक आवटित/व्यय राशि का विवरण निम्नरुपेण है–

| क्र0स0 | वित्तीय वर्ष | राशि (रु0 में) | आवटनादेश/व्ययादेश सं0 एव दिनांक |
|---|---|---|---|
| 1 | 2011–12 | 15,00,00,000/–<br>(आवटित राशि–रु० 25 00 करोड (सामजन के लिए सस्थान द्वारा रु० 10 00 करोड सरकारी कोष मे जमा कर दिया गया)। | स0–825(1),दिनाक–19 12 2011<br>93(1)ब, दिनाक–23 12 2011 |
| 2 | 2014–15 | 25,00,00,000 | स0–907(1),दिनाक–12 09 2014<br>63(1)ब, दिनाक–17 09 2014 |
| 3 | 2015–16 | 5,00,00,000 | स0–197(1), दिनाक–17 02 2016<br>110(1)ब, दिनाक–18 02 2016 |
| 4 | 2016–17 | 10,00,00,000 | स0–318(1), दिनाक–21 03 2017<br>99(1)ब, दिनाक–21 03 2016 |
| 5 | 2017–18 | 1,16,00,00,000 | स0–1347(1), दिनांक–30 11 17<br>58(1)ब, दिनाक–30 11 2017 |
| 6 | 2020–21 | 3,30,00,000 | स0–720(1), दिनाक–31 07 2020 |
| 7 | 2020–21 | 6,70,00,000 | स0–868(1), दिनाक–20 09 2020 |
| 8 | 2020–21 | 26,84,32,000 | स0–279(1), दिनाक–16 03 2021 |
| 9 | 2021–22 | 13,20,00,000 | स0–415(1), दिनाक–17 06 2021 |
| 10 | 2021–22 | 26,80,00,000 | स0–220(7), दिनाक–13 12 2021 |
| 11 | 2022–23 | 12,80,00,000 | स0–253(7), दिनाक–03.11 2022 |
| 12 | 2022–23 | 4,00,00,000 | स0–527(7), दिनाक–07 03 2023 |
| 13 | 2022–23 | 6,00,00,000 | स0–530(7), दिनाक–10 03 2023 |
| 14 | 2023–24 | 17,30,00,000 | स0–222(7), दिनाक–20 09 2023 |
| 15 | 2024–25 | 30,00,00,000 | स0–84(7), दिनाक–28 06 2024 |
| 16 | 2024–25 | 1,38,30,00,000 | स0–144(7), दिनाक–23 08 2024 |
| | कुल– | **4,56,24,32,000** | |

3– तदक्रम मे वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2025–26 मे उक्त स्कीम (योजना) हेतु प्रथम किस्त के रूप मे रू0 16,50,00,000/– (रुपये सोलह करोड पचास लाख) मात्र के व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4– यह व्ययादेश वित्त विभाग के परिपत्र सख्या–2561/वि०(2), दि०–17 04 98, 2880/वि०(2), दि०–06 05 06, 96/वि०(2), दि०–09 01 08 सह–पठित सकल्प स० 2190/वि०(2) दि०–17 03 08, 2938/वि०(2), दि०–08 04 08, 3388/वि०(2), दि०–18 04 11, सकल्प स0– 2063/वि0, दिनाक–11 03 2016, 3758/वि0, दिनाक–31 05 2017 एव 12888/वि०, दिनाक–03 12 2024 के आलोक मे निर्गत किया जा रहा है।

5– उक्त कार्य निदेशक, इन्दिरा गॉधी आयुर्विज्ञान सस्थान, शेखपुरा, पटना द्वारा कराया जाएगा। वे निम्न बिन्दुओ को ध्यान मे रखते हुए कार्य करायेगे –

(क) कार्य बिहार वित्त नियमावली, 2005, पी०डब्लू०डी० कोड एव अन्य सरकारी अनुदेशो के अनुरूप किया जाएगा।

(ख) कार्य को निर्धारित अवधि मे वाछित गुणवत्ता के साथ सम्पन्न कराने की सारी जवाबदेही निदेशक, इन्दिरा गॉधी आयुर्विज्ञान सस्थान, शेखपुरा, पटना की होगी।

6– इस राशि के व्यय का वहन मॉग सख्या–20 के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–05–चिकित्सा शिक्षा–प्रशिक्षण तथा अनुसधान–200–अन्य पद्धतियॉ–0101–इन्दिरा गॉधी आयुर्विज्ञान सस्थान, पटना, विपत्र कोड–20–2210052000101 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 के योजना आय–व्ययक मे विषय शीर्ष 0101–31–05 सहायक अनुदान–परिसपत्तियो के निर्माण मद में उपबधित राशि से किया जायेगा।

7– चूँकि इन्दिरा गॉधी आयुर्विज्ञान सस्थान, शेखपुरा, पटना एक स्वायत्तशासी सस्थान है, अतएव इस राशि की निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होगे तथा नियत्रण पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होगे।

8–अवर सचिव–सह–निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना तैयार विपत्र के माध्यम से राशि को नगद नही बल्कि खाता अतरण के माध्यम से निदेशक, इन्दिरा गॉधी आयुर्विज्ञान सस्थान, शेखपुरा, पटना को उपलब्ध करायेगे, जो उक्त राशि को पी0एल0 एकाउन्ट स0–PBBPLA003विपत्र कोड–00-8448001200068-0001के अन्तर्गत ledger ID-13909 मे जमा कर राशि का खर्च विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए करेगे और उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र मे प्रशासी विभाग के माध्यम से महालेखाकार, बिहार, पटना को उपलब्ध कराएँगे।

9– इस राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जाएगी।

10– इस राशि की निकासी के मामले मे महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नही है।

11–राज्यादेश प्रारूप मे आतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सचिका सख्या–7/MCH–35–36/2021 के पृष्ठ-132/टि0 मे प्राप्त है ।

12–इसमे अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

13–यह मात्र राज्यादेश है। आवंटन CFMS के माध्यम से प्रदान किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(शंभु शरण) 8/7/25

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापाक–7/MCH–35–36/2021– 135 (7) /स्वा०, पटना, दिनाक– 08/07/2025

प्रतिलिपि– महालेखाकार (लेखा परीक्षा), वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना/योजना एव विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रमण्डलीय आयुक्त, पटना/जिलाधिकारी, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/निदेशक, इन्दिरा गॉधी आयुर्विज्ञान सस्थान, शेखपुरा, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि – मा0 मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/ सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/लेखा शाखा (दो प्रतियों में), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–7 एवं संबंधित सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि – आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

135(7)
08/07/2025

सरकार के अपर सचिव